इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेशा राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 650]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2022-पौष 6, शक 1944

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2022

क्र. एफ 22-09-2019-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 96 तथा धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में निम्निलिखित संशोधन करती है, जिसका उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 8 अप्रैल 2021 में पूर्व प्रकाशन किया जा चुका है, अर्थात :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 77 में, उप-नियम (1ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किए जाए, अर्थात् :--

''(1ख) उप-नियम (1क) के खण्ड (चार) द्वारा अधिरोपित प्रतिबंध, जहां तक की वे उक्त नियमों के लागू होने के पहले पंजीकृत मंजिली गाड़ी से संबंध रखते हैं, लागू नहीं होंगे.''.

No. F 22-09-2019-VIII.—In exercise of the powers conferred by Section 96 and Section 111 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the State Government, hereby, makes the follwing amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having previously published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 8th April, 2021 as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 77, for sub-rule (1b), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1b) the restriction imposed by clause (iv) of sub-rule (1a), in so far as they relates to the stage carriage registered before coming into force of the said rules shall not apply.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्वेता पवार, उपसचिव.